नियमावली

1. संस्था का नाम — **भारतीय शिक्षा बोर्ड सोसाइटी**

   Bhartiya Shiksha Board Society

2. संस्था का पूरा पता — **पतंजलि योगपीठ, द्वितीय फेज के पीछे, सन्त कुटिर के पास, दयानन्द ग्राम, बहादराबाद, हरिद्वार**

3. संस्था का कार्यक्षेत्र — **समस्त भारतवर्ष**

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :–

   (क) **आजीवन सदस्य** – जो सदस्य संस्था को 1 लाख रू देगा तथा सर्वसम्मति से प्रबन्धकारिणी समिति का अनुमोदन होगा तभी वह आजीवन सदस्य कहलायेगा।

   (ख) **विशिष्ट सदस्य** – जो व्यक्ति समाज में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा हो तथा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जायेगा तब वह विशिष्ट सदस्य कहलायेगा ऐसे सदस्य को कोई राशि न देनी होगी इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

   (ग) **सामान्य सदस्य** – जो सदस्य वार्षिक रू 11,000/– देगा। तथा प्रबन्धकारिणी समिति का सर्वसम्मति से अनुमोदन होगा सामान्य कहलायेगा। इसका कार्यकाल वार्षिक होगा।

5. सदस्यता की समाप्ति–निम्नलिखित दशाओं में सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

   (क) **मृत्यु हो जाने पर।**

   (ख) **पागलपन हो जाने पर।**

   (ग) **न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।**

   (घ) **सदस्यता शुल्क न देने पर।**

   (ङ) **दिवालिया होने पर**

   (ण) **संस्था विरोधी कार्य करने पर**

6. संस्था के अंग :–**(क) साधारण सभा (ख) प्रबन्धकारिणी समिति**

   (क) **साधारण सभा**–

   (अ) **गठन**– सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

   (ब) **बैठकें**– सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

   (स) **सूचना अवधि**– सामान्य बैठक हेतु 21 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। सूचना ई–मेल या फैक्स से भी दी जा सकती है।

(द) **गणपूर्ति**— बैठक हेतु 1/3 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी।

(य) **विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि**— विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि साधारण सभा की बैठक में 2/3 बहुमत से तय की जायेगी।

(र) **साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार**— साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। संस्था की नीतियों का निर्धारण करना तथा वार्षिक आय–व्यय का अनुमोदन करना।

(ख) **प्रबन्धकारिणी समितिः**—

(अ) **गठन**— साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। इसमें मुख्य संरक्षक, संरक्षक,अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे।

(ब) **बैठक**—सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बलाई जा सकती है।

(स) **सूचना अवधि**— सामान्य बैठक हेतु 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 3 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा सूचना ई–मेल या फैक्स से की जा सकती है।

(द) **गणपूर्ति**— बैठक की गणपूर्ति हेतु 3 पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(य) **रिक्त स्थानों की पूर्ति**— पदाधिकारियों के बहुमत से शेष अवधि के लिये साधारण सभा के सदस्यों में से रिक्त हुये स्थानों की पूर्ति कर सकेगी।

(र) **भारतीय शिक्षा बोर्ड** के गठन के उद्देश्य से ही इस सोसाइटी का निर्माण किया गया है। अतः भारतीय शिक्षा बोर्ड के संचालन के लिए जो आवश्यक व जरूरी हो उस को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकता के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति व पदमुक्ति आदि का निर्णय प्रबन्धकारिणी ले सकेगी।

(ल) **प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकारः**—

1. संस्था के सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना तथा वित्तीय व्यवस्था को देखना। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वार्षिक बजट बनाना तथा साधारण सभा में बजट पास करवाना, योजनायें तैयार करना, कर्मचारी/कार्यकतओ की नियुक्ति व मुक्ति, दान–अनुदान स्वीकार करना।

2. बोर्ड की चल अचल सम्पत्ति का स्वामित्व शासी निकाय (Governing Body) सोसाइटी का होगा। संस्था हित में सम्पत्ति का क्रय विक्रय तथा बंधक /गिरवी रखने का अधिकार प्रबन्धकारिणी समिति को सर्वसम्मति से होगा। आवश्यक हाने पर प्रबन्धकार्यकारिणी समिति बैंको व अन्य से ऋण , गारण्टी या सुविधाये ले सकेगा।

3. प्रबन्धकारिणी समिति आवश्यकतानुसार ऑचलिक, क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कर सकेगी।

4.समस्त विनियोग व धन का उपयोग आयकर विभाग के नियमों के अनुसार होगा।

(ल) . **कार्यकालः**— प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष होगा।

7. **<u>प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः</u>**—

(क) **मुख्य संरक्षकः**—संस्था के सभी कार्यों हेतु मागदर्शन देना तथा संस्था के ध्येय की पूर्ति हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करना।

(ख) **संरक्षकः**—मुख्य संरक्षक का सहयोग करना तथा सबको साथ लेकर संस्था के ध्येय की पूर्ति हेतु पूर्ण पुरूषार्थ करना।

(ग) **अध्यक्षः**—संस्था की विचारा धारा, नीतियों एवं सिद्धान्तों का निर्धारण व पालन करना व कराना प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना, संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल करना, संस्था के हितार्थ कार्य जो आम सभा से स्वीकृत हो करवाना आदि।

(घ) **उपाध्यक्षः**— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्य देखना व बोर्ड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अध्यक्ष का सहयोग करना।

(ङ) **सचिव** :— कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही रखना। आगामी बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि करवाना, वार्षिक बजट बनाना, संस्था के आय—व्यय सम्बन्धी समस्त प्रपत्र तैयार करवाना, चार्टर्ड एकाउन्टेट से ऑडिट करवाना, आडिट रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी के समक्ष पेश करना, संस्था की ओर से पत्राचार करना, कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कर्मचारी/ कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति करना तथा संस्था के हितार्थ ऐसे समस्त कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों के विरूद्ध न हों।

(च) **कोषाध्यक्ष** —संस्थान के कोष व वित्तीय व्यवस्था का रखरखाव तथा खाते का संचालन व वित्तीय प्रबन्धन करना।

(छ) **सदस्य** — प्रबन्धकारिणी में 2 सदस्य होगें जो कोरम की पूर्ति करेगें व पदाधिकारियों को संस्था के कार्यों में सहयोग करेगें।

8. **संस्था के नियम/विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया** —संस्था के विधान में परिवर्तन करने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति में विधान परिवर्तन का प्रस्ताव पारित करके तथा उसे साधारण सभा द्वारा अनुमोदित करवाकर सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4ए तथा नियम 5 के अनुसार संस्था के नियमों में परिवर्तन की कार्यवाही के प्रस्ताव की प्रति के साथ 30 दिन के अन्दर ही उन्हें पंजीकरण करने के अनुरोध के साथ निबंधक कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। नियमों में परिवर्तन की स्थिति में संस्था की संसोधित नियमावली प्रस्तुत की जायेगी। कार्यालय द्वारा उक्त परिवर्तनों के पंजीकरण किये जाने की सूचना जारी किये जाने पर ही परिवर्तन मान्य होंगे।

9. **संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था)** — संस्था का कोष किसी भी बैंक में रखा जायेगा। खाते के धन का आहरण अध्यक्ष,सचिव व कोषाध्यक्षमे से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा सकेगा

10. **प्रबन्धकारिणी समिति की वार्षिक सूची तथा संतुलन पत्र** — प्रत्येक वर्ष प्रबन्धकारिणी समिति की सूची तथा आय—व्यय लेखे व संतुलन पत्र नियमानुसार उपनिबन्धक कार्यालय में जमा किया जायेगा।

11. **संस्था के आय—व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट** :— आय—व्यय का लेखा परीक्षण नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेट से करवाया जायेगा।

12. संस्था द्वारा अथवा संस्था के विरूद्ध सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा—6 के अनुसार अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के सचिव का होगा।

13. **संस्था के अभिलेख**

(क) सदस्यता रजिस्टर

(ख) कार्यवाही रजिस्टर

(ग) स्टाक रजिस्टर

(घ) कैश बुक

(ङ) रसीद बुक

(च) ऐजेन्डा रजिस्टर आदि

14. संस्था के विघटन और विघटीत सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियाम की धारा 13 व धारा 14 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

<u>प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि</u>

आज दिनांक 25 मार्च 2019 को निकट— पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार, में अधोहस्ताक्षरित व्यक्तियों ने —**भारतीय शिक्षा बोर्ड सोसाइटी** Bhartiya Shiksha Board Society नामक समिति के गठन का संकल्प निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया :—

1. **उद्देश्य स्मृतिपत्रानुसार**

उक्त बैठक की अध्यक्षता स्वामी रामदेव जी द्वारा की गयी।

सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया गया कि उपरोक्त संस्था का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत, उपनिबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स में पंजीकरण कराया जाये।

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	परम शुभेच्छुक मोरारी बापू	चित्रकूट धाम, तलगाजारडा — महुवा,भावनगर,गुजरात—364290	
2	स्वामी गोविंददेव गिरि	धर्मश्री, मंसर अपार्टमेंट, निकट सूर्यमूखी दत्ता मन्दिर, यूनिवर्सिटी रोड़, गणेश खिंड, पुने— 411016	
3	स्वामी रामदेव, अध्यक्ष, पंतजलि योग पीठ ट्स्ट—पदेन	41क, दादू बाग, कनखल हरिद्वार हरिद्वार—249408	
4	डॉ. महावीर अग्रवाल	वेदालोक, 22 नन्द विहार, पोस्ट— गुरूकुल कांगडी, हरिद्वार	
5	आचार्य बालकृष्ण— महामंत्री पंतजलि योग पीठ ट्स्ट—पदेन	41क, दादू बाग, कनखल हरिद्वार हरिद्वार—249408	
6	स्वामी मुक्तानंद कोषाध्यक्ष पंतजलि योग पीठ ट्स्ट—पदेन	दिव्य योग मन्दिर, कृपालु विहार, शेखुपुर, कनखल, हरिद्वार—249408	muktananda
7	पुनम सूरी	मिलाप न004, फौर्थ अवेनु, बॅड रोड, गदाईपुरण दक्षिण दिल्ली—110030	Punam Suri
8	गिरधर मालवीय	26, अमरनाथ झा मार्ग, जॉर्ज टाउन, प्रयागराज— 211002	

सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत नामित प्राधिकारी

भारतीय शिक्षा बोर्ड सोसाइटी Bhartiya Shiksha Board Society

(संस्था का नाम)

क्र.संख्या	नामित अधिकारी	प्राधिकारी का नाम	टिप्पणी
1.	सहायक लोक सूचना अधिकारी	स्वामी रामदेव,	अध्यक्ष
2.	लोक सूचना अधिकारी	डॉ. महावीर अग्रवाल	उपाध्यक्ष
3.	अपीलीय अधिकारी	आचार्य बालकृष्ण	सचिव

दिनांक :

अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
(स्वामी रामदेव)	(डा0 महावीर अग्रवाल)	(आचार्य बालकृष्ण)	(स्वामी मुक्तानन्द)